

जिला जन सम्पर्क विभाग, कोडरमा

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार सूचना के निम्नलिखित श्रेणियों का विशेष रूप से प्रकाशन :-

- | | |
|---|---|
| (i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य | सरकार की नीतियों परिपत्रों/ विकासशील योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। उपायुक्त कोडरमा के निदेशानुसार प्रेस सम्मेलन का आयोजन जिसमें जन प्रतिनिधि जिले के पदाधिकारिगण तथा प्रेस / मीडिया कर्मी उपस्थित रहते है। |
| (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य | वही |
| (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है | जिले में मासिक प्रेस सम्मेलन का आयोजन होता है। |
| (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान | उपायुक्त कोडरमा द्वारा हर पंचायत स्तर पर जनता दरवार का आयोजन कर जनता की शिकायत/फरियादें सूनी जाती है। |
| (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख | राज्य स्तर/जिला स्तर से निर्गत परिपत्र/ निदेशिका एवं आदेश। |
| (vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं | जिला जन सम्पर्क कार्यालय, कोडरमा में उपलब्ध सारे दस्तावेज। |
| (vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है | इस जिले के NGoS/पत्रकार और मीडियाकर्मी। |
| (viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन | NIL |

बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

जिला जन सम्पर्क कार्यालय, कोडरमा में उपलब्ध है।

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक

जिला जन सम्पर्क कार्यालय में देखा जा सकता है

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों सम्बन्धी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

जिला जन सम्पर्क कार्यालय, कोडरमा से संबंधित है।

(xii) आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा

जिला कार्यालय कोडरमा (DRDA) में देखा जा सकता है

(xiii) अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं का विवरण

1. श्री जगदीश सलूजा प्रभारी, प्रभात खबर
2. श्री विनोद विश्वकर्मा, संवाददाता, UNI
3. श्री संजीव समीर, संवाददाता, रॉची एक्सप्रेस
4. श्री सतीश कुमार, संवाददाता, दैनिक हिन्दुस्तान
5. श्री अनुप कु0 सिन्हा, संवाददाता, दैनिक जागरण
6. श्री आशीष डे, फोटोग्राफर, हिन्दुस्तान
7. श्री सत्येन्द्र कुमार गौतम, संवाददाता, रॉची एक्सप्रेस।
8. श्री राजेश कु0 सिंह, संवाददाता, प्रभात खबर।
9. श्री विश्वजीत कुंदन, फोटोग्राफर हिन्दुस्तान
10. डा0 रामसागर सिंह, संवाददाता, राजस्थान पत्रिका।

(xiv) अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा

शुन्य

(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

जिला सम्पर्क कार्यालय में मासिक/पब्लिक मैगजीन और स्थानीय समाचार पत्र/राजगार समाचार आते हैं।

श्री चन्द्रदेव शर्मा
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सह
जन सूचना पदाधिकारी, कोडरमा।



जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
कोडरमा